

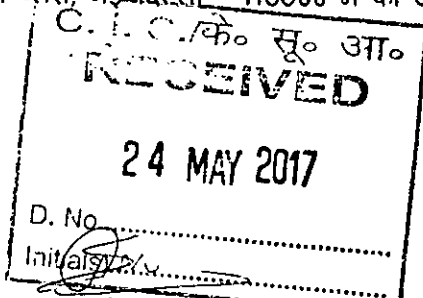
केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/176
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00170
CICOM/R/2017/00482
अपीलकर्ता : श्री लाखन सिंह कुशवाहा,
डी-194, डबुआ कालोनी,
एन.आई.टी., फरीदाबाद ।
निर्णय की तारीख : 24.05.2017

दिनांक: 24.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.04.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.05.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.05.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	133460/19.05.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	215/22.05.2017

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पेंशन संबंधी मामले 48 घंटे में निपटाने संबंधी केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश की प्रतिलिपि की मांग की थी। प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 10.04.2017 का आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया है एवं दिनांक 01.05.2017 को वांछित सूचना श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. पर अपीलकर्ता से संपर्क करने पर अपीलकर्ता ने बताया कि उन्हें वांछित सूचना (आयोग के आदेश की प्रति) मिल गई है। श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Am
24/05/17